Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding implementation of Union Government's development schemes by State Governments -laid.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): भारतीय संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना गया है । संविधान के अनुसार निर्मित कानूनों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है । कोई भी सरकारी अधिकारी अथवा देश या राज्य का प्रमुख संविधान के विरूद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है । भारतीय संविधान के आलोक में ही हमारे देश में संघात्मक कार्यप्रणाली को अपनाया गया है । हमारी सरकार का संघीय स्वरूप एक आधुनिक खोज है जो अमेरिकी संविधान के प्रादुर्भाव से अस्तित्व में आया ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि संघवाद क्षेत्रीय स्वायत्ता को बरकरार रखता है । दूसरे यह राष्ट्रीय एकता भी प्रदान करता है । यह व्यवस्था छोटे राज्यों के लिए अधिक लाभप्रद है क्योंकि वे अपनी स्वतंत्र रूप से रक्षा करने तथा अन्य राज्यों से स्वतंत्र राजनयिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं होते हैं । संघ और छोटे तथा कमजोर राज्यों को एक अवसर देता है । छोटे राज्य स्वतंत्र रूप से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते । वे विकास कार्यो के लिए पर्याप्त संसाधनों को आबंटित नहीं कर सकते और न ही अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंध बना सकते हैं । बड़े और शक्तिशाली राज्यों के मध्य छोटे राज्यों का अस्तित्व अस्थिर होता है । छोटे राज्य अपनी पहचान की धारणा के साथ अपनी राजनीतिक आर्थिक और सैनिक समस्याओं को सुलझाने का लाभ उठाते हैं । एक संघ में लोग एक सशक्त राष्ट्र निर्माण के साथ स्थानीय स्वायत्ता के समन्वय के अवसर पाते हैं । एक संघ सरकार विविधता को बरकरार रखते हुए एकता प्राप्त करती है । लोगों को अपनी भाषा, धर्म, और संस्कृति को बचाने का व्यापक अवसर मिलता है ।

संघीय सरकार की इतनी अधिक विशेषता होने के पश्चात भी यह अत्यधिक खेदजनक है कि कुछेक राज्य सरकारें संघात्मक सरकार की विकास संबंध जन-कल्याणकारी योजनाओं, सुझाव एवं निर्देशों का अनुपालन न कर असहयोग और व्यवधान उत्पन्न करती हैं ।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि देश की सभी राज्य सरकारें संघात्मक सरकार की विकास संबंधी जन-कल्याणकारी योजनाओं, सुझाव एवं निर्देशों का कड़ाई से तुरन्त अनुपालन करें ।